अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2019 वीं बैठक दिनांक 25.06.2019 का कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2019 वीं बैठक श्रीमान आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2019 को उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित सदस्यगणों एवम् अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम समस्त उपस्थित सदस्यगणों एवम् अधिकारियों का सदस्य सचिव द्वारा स्वागत किया गया एवम् सवर्ससम्मति से एजेण्डावार निम्नानुसार निर्णय लिए गए।

प्र.सं.	जोन	प्रार्थी	प्रकरण	निर्णय
1		अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिग प्लान) की 3/2018 वीं बैठक दिनांक 20.09.2018 का कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत प्रस्तुत।	समिति को अवगत कराया गया की गत बैठक दिनांक 20.09.2018 का कार्यवाही विवरण जारी किये जाने के पश्चात् इस पर काई विवाद संज्ञान मे नही आया हैं। अतः सर्वसम्मति से गत बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2	उत्तर	मैसर्स अरिहन्त बिल्डदेव प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री आर.डी. थारवानी।	हरिभाऊ उपाध्याय (मुख्य) नगर योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 1–CIN क्षेत्रफल 2260 वर्ग मीटर भूमि के व्यावसायिक (मल्टीप्लेक्स, होटल, वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु।	समिति को अवगत कराया गया की प्रश्नगत प्रकरण पूर्व बैठक दिनांक 20.09.2018 के प्रस्ताव संख्या 4 पर प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :– **"प्रकरण में प्रस्तावित भवन मानचित्र में 2 बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसके संबंध में भू–जल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।"** बैठक निर्णय की अनुपालना में आवेदक द्वारा कार्यालय वरिष्ठ भूजल, भ–जल वैज्ञानिक, भू–जल विभाग, अजमेर द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति एवं अन्य भू–वैज्ञानिक सम्बन्धित रजिस्टर्ड फर्म से अनापत्ति प्रस्तुत की गयी। आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली के पेरा 222/एन पर दिये गये निर्देशों के क्रम में समिति से अनुमोदन की प्रत्यांशा में भवन मानचित्र अनुमोदित कर दिनांक 17.01.2019 को जारी किए गये। अतः प्रस्ताव पश्चात्वर्ती अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त जारी भवन मानचित्र की पुष्टी की गई।
3	पुष्कर	श्रीमती सोनू पत्नी श्री वासुदेव मंघानी 377/5 रामनगर, पुष्कर रोड, चन्द्रविलास अजमेर।	ग्राम बांसेली में स्थित खसरा नम्बर 60, 77/1545, 78/1671, 86, 87 क्षेत्रफल 14457.27 व.ग. (12088.02 व. मी.) भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत्।	समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा एव भवन मानचित्रों पर विचार–विमर्श किया गया। निदेशक आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत भवन मानचित्रों की एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार जॉच की गई, जो तकनीकी दृष्टि से उचित है। अतः प्रस्तुत भवन मानचित्रों को निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है:– 1. प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर मे गैर मुमकीन नाली दर्ज हैं इस पर चार दिवारी या कोई अन्य निर्माण नही होने तथा पानी के निर्बाध बहाव हेतु खुली होनी की

(राजेश कुमार तुलारी)
निदेशक आयोजना

				सुनिश्चिता जोन उपायुक्त द्वारा की जाने के पश्चात् ही भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जावे। 2. भूखण्ड मे जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था हेतु भवन मानचित्र जारी करते समय स्वीकृति पत्र में शर्त उल्लेखित की जावे। 3. भवन विनियम अनुसार भूखण्ड मे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल व्यवस्था हेतु साईट चिन्हित की जावे। 4. एकीकृत भवन विनियम–2017 से संबंधित सभी विनियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों व परिपत्रों की पालना एवं सेफ्टी/सिक्यूरिटी से संबंधित सभी मानदण्डों की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी इस बाबत् प्रार्थी से आवश्यक शपथ–पत्र लिये जावे। उपरोक्त सभी शर्तों की पालना एवं आवश्यक दस्तावेज/शपथ–पत्र प्रस्तुत होने एवं संदेय शुल्क जमा होने पर भवन मानचित्र ज़ारी किए जावे।
4	पुष्कर	श्री सहदेव सिंह कुशवाह, श्री वैभव राज सिंह, श्री ज्ञानचंद सिघवी, श्री रिद्दम सिंघवी पीपली चौराहा विजयनगर, अजमेर।	ग्राम नेडलिया में स्थित खसरा नम्बर 658/1171, 696, 696/1173,1460/697 क्षेत्रफल 29340.44 व.मी. (35091.17व.ग.) भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत्।	समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा एव भवन मानचित्रों पर विचार–विमर्श किया गया। निदेशक आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत भवन मानचित्रों की एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार जॉच की गई, जो तकनीकी दृष्टि से उचित है। अतः प्रस्तुत भवन मानचित्रों को निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है:– 1. भूखण्ड मे जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था हेतु भवन मानचित्र जारी करते समय स्वीकृति पत्र में शर्त उल्लेखित की जावे। 2. भवन विनियम अनुसार भूखण्ड मे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल व्यवस्था हेतु साईट चिन्हित की जावे। 3. एकीकृत भवन विनियम–2017 से संबंधित सभी विनियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों व परिपत्रों की पालना एवं सेफ्टी/सिक्यूरिटी से संबंधित सभी मानदण्डों की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी इस बाबत् प्रार्थी से आवश्यक शपथ–पत्र लिये जावे। उपरोक्त सभी शर्तों की पालना एवं आवश्यक दस्तावेज/शपथ–पत्र प्रस्तुत होने एवं संदेय शुल्क जमा होने पर भवन मानचित्र जारी किए जावे।
5	उत्तर	श्री कमलेश मूलचन्दानी एवं श्रीमति अनुराधा जरिये श्री राजबिहारी शर्मा पार्टनर रंगोली आशीयाना एलएलपी,	राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा नम्बर 2590, से 2592, 2591/4242 एवं 2599 क्षेत्रफल 8570.07 व.मी. के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल–3ए के तहत्	समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा एव भवन मानचित्रों पर विचार–विमर्श किया गया। निदेशक आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत भवन मानचित्रों की एकीकृत भवन विनियम, 2017 एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल–3ए के अनुसार जॉच की गई, जो तकनीकी दृष्टि से उचित है। अतः प्रस्तुत भवन मानचित्रों को निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है:– 1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों अनुसार मानक बी.ए.आर से अधिक

(राजेश कुमार तुलारी)
निदेशक आयोजना

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

		112 गायत्री नगर–बी, दुर्गापुरा, जयपुर।	EWS/LIG के ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावित बी.ए.आर क्षेत्रफल 522.29 वर्गमीटर पर एकीकृत भवन विनियम–2017 अनुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 2. भूखण्ड मे जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था हेतु भवन मानचित्र जारी करते समय स्वीकृति पत्र में शर्त उल्लेखित की जावे। 3. भवन विनियम अनुसार भूखण्ड मे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल व्यवस्था हेतु साईट चिन्हित की जावे। 4. पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी तथा परियोजना के पूर्णताः प्रमाण–पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु शपथ–पत्र आवेदक से लिया जावें। 5. नेशनल बिल्डिंग कोर्ड के प्रावधानों अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित प्रावधानों की अनुपालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी तथा परियोजना के पूर्णताः प्रमाण–पत्र के आवेदन के साथ अग्नि शमन अनापत्ति प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु शपथ--पत्र आवेदक से लिया जावें। 6. एकीकृत भवन विनियम–2017 से संबंधित सभी विनियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों व परिपत्रों की पालना एवं सेफ्टी/सिक्यूरिटी से संबंधित सभी मानदण्डों की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी इस बाबत् प्रार्थी से आवश्यक शपथ–पत्र लिये जावे। उपरोक्त सभी शर्तों की पालना एवं आवश्यक दस्तावेज/शपथ–पत्र प्रस्तुत होने एवं संदेय शुल्क जमा होने पर भवन मानचित्र जारी किए जावे।

01/07/2019

(राजेश कुमार तुलारा)
निदेशक आयोजना एवं
सदस्य सचिव, भवन मानचित्र
समिति (बीपी)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

(राजेश कुमार तुलारा)
निदेशक आयोजना

अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

क्रमांक : अ.वि.प्रा. / प.3 / नि. शा. / 2019 / 270 – 274 | दिनांक : – 01-07-2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर / दक्षिण / किशनगढ / पुष्कर), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. सहायक नगर नियोजक प्रथम / द्वितीय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

01/07/2019

निदेशक आयोजना एवम्
सदस्य सचिव
(राजेश कुमार [illegible])
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर